राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2182/2015

माला सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2015
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 03.09.2015 अथवा नजदीकी आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए तथा अपीलार्थी का नाम एएसआई की पदोन्नति सूची में जोडा जाए।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.10.1989 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हैड कांस्टेबल के पद की जिला हनुमानगढ़ की वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2015 जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 40 पर अंकित किया गया। विभाग द्वारा वायरलैस मैसेज से एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु सभी हैड कांस्टेबल को सूचित किया गया,

जिसमें तीन वर्ष का अनुभव स्नातक योग्यता वालों से मांगा गया। अपीलार्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। विभाग द्वारा उक्त पद के लिए सभी हैड कांस्टेबल की सूची रिक्ति वर्ष 2012–2013 के विरूद्ध एएसआई पद हेतु जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुभव पर विचार न करते हुए उसके आवेदन को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी ने इस संबंध में अधिकरण में दायर अपील संख्या 620–624/2014 शिशुपाल सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में अधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2015 जिसे अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 27.03.2015 द्वारा अपीलार्थियों को योग्यात्मक परीक्षा में पदोन्नति हेतु बैठने के लिए अनुमति दी का उद्वरण देकर अपीलार्थी को सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु स्वीकृति नहीं दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.एल.सी. 2002 (2) 97 गोकुल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार की गई। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त योग्यात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जावे।

अतः उक्त आधारो पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 03.09.2015 अथवा नजदीकी आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए तथा अपीलार्थी का नाम एएसआई की पदोन्नति सूची में जोड़ा जाए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर वर्ष 2012–2013 के लिए दिनांक 20.08.2015 को आवेदन मांगे गए, जिसके क्रम में दिनां 03.09.2015 को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ। परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2012 को 5 वर्ष की सेवा का अनुभव नहीं होने के कारण उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण था। इस प्रकार हैड कांस्टेबल के पद का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.10.1989 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हैड कांस्टेबल के पद की जिला हनुमानगढ़ की वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2015 जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 41 पर अंकित किया गया। विभाग द्वारा वायरलैस में एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु सभी हैड कांस्टेबल को सूचित किया गया, जिसमें तीन वर्ष का अनुभव स्नातक योग्यता वालो से मांगा गया और गैर स्नातक योग्यता वालों से पांच वर्ष का अनुभव हैड कांस्टेबल के पद का मांगा गया। अपीलार्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। विभाग द्वारा उक्त पद के लिए सभी हैड कांस्टेबल की सूची रिक्ति वर्ष 2012–2014 के विरूद्ध एएसआई पद हेतु जारी की गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुभव पर विचार न करते हुए उसके आवेदन को निरस्त कर दिया। जहां तक एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु मांगे गए 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को निरस्त किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 24.08.2015 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2005–2006 के विरूद्ध विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया और एएसआई के पद पर रिक्ति 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु गैर स्नातक योग्यताधारी के लिए 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2005–06 से वर्ष 2012–13 तक हैड कांस्टेबल के पद का अनुभव लगभग 6 वर्ष से अधिक का रखता है। जबकि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु मात्र 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस प्रकार अपीलार्थी एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं है कि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव नहीं रखता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2015 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी को जिस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था, उस वर्ष से अनुभव की अवधि की गणना की जाकर अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु

विचार किया जावे और यदि उक्त परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, आगामी नजदीकी उक्त पद हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे और यदि अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य